वर्षांत समीक्षा: पर्यटन मंत्रालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यटन मंत्रालय (MoT) की वर्षांत समीक्षा जारी की गई।

- पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्षांत समीक्षाएं भी जारी की गईं।

MoT की प्रमुख पहलें/उपलब्धियां क्या हैं?

राष्ट्रीय डिजिटिल पर्यटन मिशन (NDTM)

- MoT ने जुलाई, 2021 में एक अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स नियुक्त किया, जिसने अप्रैल, 2022 में राष्ट्रीय डिजिटिल पर्यटन मिशन (NDTM) का एक मसौदा प्रस्तुत किया।
- NDTM का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर पर्यटन ईको-सिस्टम में हितधारकों को डिजिटिल रूप से जोड़ना है।
- मिशन का एजेंडा देश के लिये एक एकीकृत पर्यटन इंटरफेस विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाना है जहां इससे पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के कई हितधारकों के बीच सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान के अवसर हैं।
    - पर्यटन गतिविधियों को एक एकीकृत प्रणाली के तहत लाने के लिये डिजिटलीकरण महत्त्वपूर्ण है।
- **निधि+** को NDTM के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में रखा गया है।

निधि पोर्टल

- आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (National Integrated Database of Hospitality Industry- NIDHI) आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिये डिजिटलीकरण की सुविधा और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिये एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली है।
    - यह भौगोलिक विस्तार, आकार, संरचना एवं आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र की मौजूदा क्षमता पर एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है।
- NIDHI को अधिक समावेशीकृत करने के लिये NIDHI+ के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है - इसमें राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की एक बड़ी भूमिका की भी परिकल्पना की गई है।

सतत् पर्यटन और ज़िम्मेदार यात्री अभियान के लिये राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Sustainable Tourism and Responsible Traveller Campaign)

- इसे MoT द्वारा जून, 2022 में सतत् और ज़िम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था।
    - शिखर सम्मेलन का आयोजन MoT द्वारा UNEP और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया (RTSOI) के साथ नई दिल्ली में किया गया था।
- रणनीति दस्तावेज़ में सतत् पर्यटन के विकास के लिये रणनीतिक स्तंभों की पहचान की गई है
    - पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता को बढ़ावा देना
    - जैव विविधता की रक्षा करना
    - सतत् पर्यटन के प्रमाणन के लिये योजना
- स्वदेश दर्शन 2.0 के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं और पहलों में सतत् और ज़िम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को लागू किया जा रहा है।

पर्यटन हितधारक कौशल प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम (Tourism Stakeholder Skill Training and Sensitisation Programmes)

- पर्यटन मंत्रालय भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC) के माध्यम से टैक्सी/कैब चालकों, पर्यटक परिवहन चालकों, होटल फ्रंटलाइन स्टाफ,

पर्यटक गाइड आदि सहित पर्यटन हितधारकों के लिये कौशल प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
- सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिष्टाचार, कार्यस्थल और व्यक्तिगत स्वच्छता, कोविड प्रोटोकॉल, विदेशी भाषा आदि शामिल हैं।

समान पर्यटक पुलिस योजना

- पर्यटन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के सहयोग से समान पर्यटक पुलिस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पुलिस विभाग के महानिदेशकों/महानिरीक्षकों (DG/IG) का 19 अक्टूबर, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य पर्यटन मंत्रालय को गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को एक मंच पर लाना है, ताकि वे राज्य/संघ शासित पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम कर सकें और अखिल भारतीय स्तर पर समान पर्यटक पुलिस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये विदेशी और घरेलू पर्यटकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में संवेदनशील बन सकें।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (ITM)

- MoT ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (ITM) का आयोजन किया।
- NER के लिये 10वाँ ITM मिज़ोरम राज्य सरकार के सहयोग से आइजोल, मिज़ोरम में आयोजित किया गया था।
- ITM 8 पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन व्यवसाय बिरादरी और उद्यमियों को एक साझा मंच पर एक साथ लाया।

युवा पर्यटन क्लब

- MoT ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के हिस्से के रूप में 'युवा पर्यटन क्लब' की स्थापना की पहल की।
- इन क्लबों का उद्देश्य भारतीय पर्यटन के युवा राजदूतों को तैयार करना एवं आगे बढ़ाना है जो भारत में पर्यटन की संभावनाओं से अवगत होंगे, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना करेंगे और पर्यटन के लिये रुचि और जुनून विकसित करेंगे।
- CBSE पर्यटन मंत्रालय की पहल का समर्थन करने के लिये आगे आया है और युवा पर्यटन क्लबों के गठन के संबंध में CBSE से संबद्ध सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया है।

कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिये ऋण गारंटी योजना (Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Tourism Service Sector- LGSCATSS)

- LGSCATSS के तहत COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित देनदारियों को पूरा करने और व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिये पर्यटन क्षेत्र में लोगों को कार्यशील पूंजी/व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना में MoT और राज्य/यूटी प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त 10,700 टूरिस्ट गाइड और MoT द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 1,000 ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स (TTS) शामिल होंगे।
    - प्रत्येक TTS 10 लाख रुपये तक गारंटीकृत संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे और प्रत्येक पर्यटक गाइड 1 लाख रुपये तक गारंटीकृत संपार्श्विक मुक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं।
- MoT नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) के माध्यम से LGSCATSS का संचालन करेगा।

उत्सव पोर्टल

- यह पर्यटन जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये पूरे भारत में त्योहारों और कार्यक्रमों को प्रदर्शित करता है।
- इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य भक्तों और यात्रियों को लाइव दर्शन के रूप में भारत के कुछ प्रसिद्ध धार्मिक दैवीय तीर्थों के स्थलों का अनुभव करवाना और दिखाना भी है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/year-end-review-ministry-of-tourism